/ उप जिला मजिस्ट्रेट
बामनवास (जिला-स०मा०)

15/11/13 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० / बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2069-72 के खाता संख्या नया 66 पुराना 70 के अनुसार विवादित आराजी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	भूमि वाके ग्राम मोरेपा तहसील बामनवास के अनुसार विवादित ख.न. 149 रकबा 0.80 हेक्टर सायल धीरया पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी मोरेपा की खातेदारी भूमि होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। जिसके कारण गैर सायल वगै. को न्यायहित जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः मूल दावे के निस्तारण तक गैर सायल वगै० को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। ग्राम मोरेपा के आ. ख.न. 149 रकबा 0.80 हैक्ट० में उपयोग, उपभोग कब्जा काश्त फसल जोतने काटने में किसी प्रकार की मजाहमत या बाधा उत्पन्न न हो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र ना.र. फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। तथा मूल दावे की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। यह निर्णय आज दिनांक 15-11-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला-स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.12.04 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: